

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

मोबाईल नम्बर—9456597981, फोन नम्बर—0135—2854900

पत्रांक: न-20/असुव्य (119)/2026

दिनांक: फरवरी 14, 2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

Maa Anandmayee Memorial School

Raiwala, Rishikesh

जनपद—देहरादून।

विषय

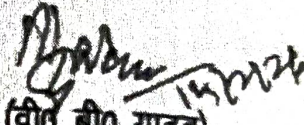
शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर—31930398 दिनांक: 05.02.2026 जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश की निरीक्षण आख्या दिनांक 09.02.2026 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, फायर अलार्म, पानी टैंक इत्यादि कार्यशील दशा में पायी गयी। भवन/संस्थान एक **शैक्षणिक भवन** है। भवन/संस्थान में **भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल** है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या—342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या—304272/XX-3/2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 06 जून, 2025 के अनुपालन में दिनांक: 14 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2029 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तों का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. प्रश्नगत भवन/संस्थान को दिनांक मार्च 31, 2022 में नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत की गई थी। यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में निर्मित भवन को प्रदान किये गये अग्निशमन अनापत्ति के नवीनीकरण हेतु प्रदान किया जा रहा है। यदि सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।
2. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.—2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड/ईमेल (cfoddn.ukfs@gmail.com) करना अनिवार्य है।
3. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल कसयी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
4. प्रत्येक स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
5. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
6. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
7. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
8. यदि भवन/संस्थान को जिस मानचित्र पर पूर्व संचालन (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी यदि उसके दर्शाये गये सैट बैक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
11. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा।
12. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

13. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सुदृढ़ व्यवस्था हेतु भवन के टैरिस टैंक की क्षमता को बढ़ाकर 10 हजार लीटर व टैरिस टैंक के पास 01 अग्नि फायर पम्प (450 लीटर प्रति मिनट क्षमता) तथा संचालित लेब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में क्लीन एजेंट बेस एक्सटिंग्यूशिंग सिस्टम, फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रावधान दो माह के भीतर करवाकर इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
14. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में कोई नया शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
15. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


 (वी० वी० यादव)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 देहरादून/हरिद्वार।